

**प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम खरीफ 2024 के अन्तर्गत  
जिलावार/फसलवार बीमित राशि एवं कृषक द्वारा देय प्रीमियम राशि (रु./हे.)**

(खरीफ 2024 मौसम के अन्तर्गत एचडीएफसी एगो को अधिकृत जिलों के अधिसूचित फसलों में बीमा के लिए देय प्रीमियम दर बीमित राशि का 2%)

मौसम	जिला	फसल	बीमित राशि	कृषक प्रीमियम राशि
खरीफ 2024	आगरा	धान	80000	1600.00
		बाजरा	57000	1140.00
		अरहर	90900	1818.00
	मथुरा	धान	64200	1284.00
		बाजरा	51100	1022.00
		अरहर	85600	1712.00
	फिरोजाबाद	धान	82700	1654.00
		मक्का	58700	1174.00
		बाजरा	57500	1150.00
		तिल	14400	288.00
	मैनपुरी	धान	89100	1782.00
		मक्का	67400	1348.00
		बाजरा	64200	1284.00
		मूंगफली	136600	2732.00
	फर्रुखाबाद	धान	98000	1960.00
		मक्का	70200	1404.00
		बाजरा	49400	988.00
		तिल	13300	266.00
	कन्नौज	धान	98400	1968.00
		मक्का	67600	1352.00
		बाजरा	43700	874.00
		तिल	27200	544.00
	इटावा	धान	93600	1872.00
		मक्का	60500	1210.00
		बाजरा	60400	1208.00
		अरहर	148800	2976.00
	औरैया	धान	102000	2040.00
		मक्का	55900	1118.00
		बाजरा	61000	1220.00
		ज्वार	51400	1028.00
		उड़द	54100	1082.00
		अरहर	96300	1926.00
	कानपुर नगर	धान	96600	1932.00
		मक्का	56800	1136.00
		बाजरा	45800	916.00
		ज्वार	59700	1194.00
		उड़द	48700	974.00
		तिल	13000	260.00
		अरहर	128800	2576.00
	कानपुर देहात	धान	102400	2048.00
		मक्का	59700	1194.00
		बाजरा	60900	1218.00
		ज्वार	43600	872.00
		उड़द	51900	1038.00
		तिल	14200	284.00
		अरहर	141600	2832.00

ई-मेल: [pmfby.up@hdfcergo.com](mailto:pmfby.up@hdfcergo.com)

वेबसाइट: <https://pmfby.gov.in/farmer>



**फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ!**



# भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)



मौसम – खरीफ 2024

फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ!

## उद्देश्य :

1. प्राकृतिक आपदाओं से अधिसूचित क्षेत्र में बोई गयी अधिसूचित फसल को बीमा कवर प्रदान करना।
2. कृषि में उन्नत तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देना।
3. आपदा वर्षों में कृषि आय को स्थिर रखना।

## पात्र कृषक: अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी कृषक (ऋणी/गैर ऋणी)

(ऋणी कृषकों को बीमा में शामिल न होने के सम्बन्ध में अपना प्रार्थना पत्र सम्बन्धित बैंकों को बीमा की अन्तिम तिथि से 7 दिन पूर्व देना अनिवार्य है। ऐसे कृषक बीमा में तभी शामिल हो सकते हैं जब वह अपना प्रार्थना पत्र पुनः बीमा में शामिल होने हेतु देंगे।)



अधिसूचित फसल	बीमित राशि	कृषक द्वारा देय प्रीमियम	बीमा कराने की अन्तिम तिथि
धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, उड़द, तिल, अरहर, मूंगफली	प्रति हेक्टेयर संसूचित राशि	बीमित राशि का 2%	<b>31 जुलाई, 2024</b>

(जनपदवार/फसलवार बीमित राशि एवं देय प्रीमियम पीछे पृष्ठ पर अंकित है)

## बीमा कहाँ करायें/जानकारी हेतु

सम्बन्धित  
बैंक शाखा

जन सेवा केन्द्र  
(CSC)

भारत सरकार के PMFBY Portal  
([www.pmfby.gov.in](http://www.pmfby.gov.in))

क्रियान्वयक अभिकरण के  
अधिकृत बीमा मध्यस्थ/कार्यालय

## बीमा से आच्छादित जोखिम

ग्रामपंचायत स्तर पर (क्षेत्र आधारित)	व्यक्तिगत आधार पर
<ul style="list-style-type: none"> <li>असफल बुआई की स्थिति में।</li> <li>फसल की अवधि में प्राकृतिक आपदा के नुकसान की स्थिति में।</li> <li>फसल कटाई के आधार पर प्राप्त वास्तविक उपज में गारन्टीड/थ्रेशोल्ड उपज की तुलना में कमी होने की स्थिति में।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>स्थानीय आपदा – खड़ी फसलों को ओलावृष्टि, जलभराव (फसल धान को छोड़कर), भूस्खलन, बादल फटना, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग के कारण क्षति की स्थिति।</li> <li>फसल कटाई उपरान्त आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाई हेतु रखी गयी फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात/ चक्रवाती वर्षा/बेमौसम बारिश से क्षति की स्थिति। (उपरोक्त आपदा स्थिति में कृषक द्वारा 72 घण्टे के अन्दर सूचना देना अनिवार्य है।)</li> </ul>

बीमा कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज : आधार कार्ड, बैंक खाता सम्बन्धी प्रपत्र, भूमि स्वामित्व सम्बन्धी प्रपत्र, बटाई प्रमाण पत्र, फसल बुआई का प्रमाण पत्र (स्वसत्यापित) एवं मोबाईल नम्बर

## फसल नुकसान के सम्बन्ध में सूचित करने हेतु

टोल फ्री नं.:  
**14447**

सम्बन्धित  
बैंक शाखा

कृषि/उद्यान  
विभाग कार्यालय

क्राफ इन्श्योरेन्स  
ऐप

कृषक बीमा सम्बन्धी अधिक जानकारी के लिए राज्य अधिसूचना, बीमा प्रपत्र, भारत सरकार के PMFBY Portal ([www.pmfby.gov.in](http://www.pmfby.gov.in)) कृषि/उद्यान विभाग, टोल फ्री नं. एवं क्रियान्वयक अभिकरण से सम्पर्क करें।



**फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ!**

